राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग खण्ड द्वितीय बून्दी

OFFICE OF MINING ENGINEER, MINES & GEOLOGY, DIV-II, BUNDI

क्रमांक :– ख.अ./बून्दी–II/सी.सी./2019 3543 दिनांक :– 19/12/19

प्रेषिति :– **श्रीमान निदेशक महोदय,**
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
निदेशालय, उदयपुर (राज.)

विषय :– जब्तशुदा खनिज बजरी की निविदा विज्ञप्ति की शर्ते विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त की खनिज बजरी की नीलामी विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया नीलामी हेतु विज्ञप्ति मय शर्तो के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय बून्दी

क्रमांक :– ख.अ./बून्दी–II/सी.सी./2019 दिनांक :–

प्रतिलिपि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा–वृत्त, कोटा को भेजकर निवेदन है कि चूँकि विभाग के बून्दी स्थित दोनों कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार के पद रिक्त है, अतः कृपया उक्त खनिज बजरी की नीलामी तिथि दिनांक 16.01.2020 को प्राप्त विज्ञप्तियों को खोलने हेतु वृत्त में कार्यरत किसी भी सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार को इस कार्यालय में भिजवाये जाने का श्रम करावें।

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय बून्दी

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग खण्ड द्वितीय बून्दी

OFFICE OF MINING ENGINEER, MINES & GEOLOGY, DIV-II, BUNDI

क्रमांक :– ख.अ./बून्दी–II/अना./2019 दिनांक :–

नीलामी विज्ञप्ति

बून्दी जिले में कोतवाली थाने में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी कि नीलामी हेतु सील बन्द लिफाफें में निविदाऐं (दरें) दिनांक 15.01.2020 (सायंकाल 6 बजे तक) कार्यालय खनि अभियन्ता खण्ड–द्वितीय, बून्दी में आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त सील बन्द लिफाफें कमेटी द्वारा दिनांक 16.01.2020 को अपरान्ह 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र. स.	स्थान का विवरण (जहां जप्तशुदा बजरी पड़ी हैं)	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि रू.	न्यूनतम् निविदा राशि (रू.)
1	कोतवाली थाना, बून्दी	काली बजरी 65 टन, बनास बजरी 60 टन	रू. 39,65/– रू. 4800/–	रू. 39650/– रू. 48000/–
		कुल बजरी 125 टन	कुल 8765/–	कुल 87650/–

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफं पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षैत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी हैं, लिखा होना चाहियं। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता खण्ड–द्वितीय, बून्दी में टेन्डर बॉक्स में दिनांक 15.01.2020 (सायंकाल 6. बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेंकर्स चैक जो सम्बन्धित खनि अभियन्ता के नाम हो निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही हैं।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल पर की जा सकती हैं। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता खण्ड–द्वितीय, बून्दी के तकनीकी के स्टाफ से ली जा सकती हैं।
5. जब्तशुदा बजरी सम्बन्धित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल में जेसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिती में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 16.01.2020 को अपरान्ह 03:00 बजे उपस्थित निविदादातोंओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता खण्ड–द्वितीय, बून्दी में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा, आदेश प्राप्त के 3 कार्य दिवसीय में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ–साथ जी.एस.टी./टी.सी.एस. सम्बन्धित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करनी हेगी। राशि जमा होने की तिथी से अधिकतम 1 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा बयाना/अमानत राशि जप्त करने हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।

लगातार पेज नम्बर 02

7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग,मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई.डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से सम्बन्ध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से सम्बन्धित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेठी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र बून्दी होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता खण्ड–द्वितीय, बून्दी द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नही किया जा सकेगा।
12. सफलतम निविदाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि अधिकतम 1 दिवस ही अनुमत होगा।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता खण्ड–द्वितीय, बून्दी को व्हाट्सप पर भेजने के पश्चात् की खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटों एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यन्त्र की वजन पर्ची क्षैत्र के सम्बन्धित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सप पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नही होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगीत स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन की फोटों तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय मे नही हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा। और इस सम्बन्ध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नही होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
22. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

खनि अभियन्ता,
खण्ड़ द्वितीय, बून्दी